

थाना नहतौर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर, चोरी की 01 मोटर साईकिल व अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार।

मु0अ0सं0-314 / 2020

धारा-414 भादवि0 बनाम-02 अभियुक्त नामजद

दिनांक घटना-31.08.2020

घटना स्थल-रोडवेज बस अड्डा नहतौर

दिनांक गिरफ्तारी-31..08.2020

समय-17:30 बजे गिरफ्तारी स्थल-

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-

1. कृष्ण कुमार पुत्र प्रीतम सिंह नि0 मौ0 रामनगर स्यौहारा रोड कस्बा व थाना नूरपुर बिजनौर
2. साकेन्द्र पुत्र बलकरन नि0 मौ0 रामनगर स्यौहारा रोड कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर



बरामदगी का विवरण-

1- चोरी की मोटर साईकिल स्पलेडर प्लस नं0 यूपी 37 एच 9224

2- 01 तमन्चा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-314 / 2020

धारा-414 भादवि0 बनाम-02 अभियुक्त नामजद

मु0अ0सं0- 315 / 2020

धारा 3/25 शस्त्र अधि0 बनाम कृष्ण कुमार उपरोक्त।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 31.08.2020 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर रोडवेज बस अड्डे के अन्दर से एक चोरी की हीरो स्पलैण्डर प्लस मोटर साईकिल सहित अभियुक्त 1—कृष्ण कुमार पुत्र प्रीतम सिंह नि० मौ० रामनगर स्यौहारा रोड थाना कस्बा नूरपुर, 2—साकेन्द्र पुत्र बलकरन नि० मौ० रामनगर स्यौहारा रोड थाना कस्बा नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी में अभि० कृष्ण कुमार के कब्जे से एक तमन्चा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुये। बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु०अ०सं० 314/2020 धारा 414 भादवि बनाम उपरोक्त व मु०अ०सं० 315/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि० बनाम कृष्ण कुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की जानकारी बिजनौर के अतिरिक्त आस—पास के जनपदों से की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण—

1.उ०नि० आशीष तोमर, 2.उ०नि० रामेश्वर सिंह, 3.का० 150 जफरुद्दीन,4.का० 301 शमशेर 5. का० 107 दिनेश चाहल थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

थाना धामपुर पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गैंग के 04 सदस्य गिरफ्तार।

मु0अ0सं0-374 / 2020 धारा-411 / 413 / 414 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि बनाम-06 अभि0

दिनांक घटना-31.08.2020 समय-अदम तहरीर घटना स्थल-आरएसएम तिराहा

दिनांक गिरफ्तारी-31.08.2020 समय-23:00 बजे गिरफ्तारी स्थल-आरएसएम तिराहा

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-सोनू उर्फ सरताज पुत्र शोकीन निवासी मौ0 चौहान पट्टी थाना जसपुर जनपद उधमसिंहनगर
- 2-शहनवाज उर्फ शानू पुत्र हनीफ निवासी मौ0 चौहान पट्टी थाना जसपुर जनपद उधमसिंहनगर
- 3-आसिफ पुत्र तस्दीक निवासी मौ0 भूप सिंह कस्बा व थाना जसपुर जनपद उधमसिंहनगर
- 4-जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी मौ0 चौहान पट्टी थाना जसपुर जनपद उधमसिंहनगर



फरार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1-शाकिर पुत्र मोहम्मद उमर निवासी चारुपुरा थाना डिलारी, जनपद मुरादाबाद
- 2-अजय भंडारी पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी मौ0 भूप सिंह कस्बा व थाना जसपुर, जनपद उधमसिंहनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1-12 अदद मोटर साईकिल व 1 स्कूटी
- 2-एक तमंचा 12 बोर मय जिंदा कारतूस
- 3-तीन अदद चाकू

बरामदा दुपहिया वाहन—

- 1—यूके 14 सी 2388 बुलैट
- 2—बिना नंबर की बुलैट
- 3—सुपर स्पलेंडर यूपी 22 एबी 2726
- 4—हीरो स्पलेंडर यूके 06 ऐजी 8105
- 5—यूके 04 एस 9756
- 6—हीरो स्पलेंडर यूके 18 के 3656
- 7—हीरो स्पलेंडर यूपी 21 बीयू 3767
- 8—पेंशन प्रो डीएल 13 एक्स एक्स 8456
- 9—सुपर स्पलेंडर यूपी 21 एएल 0117
- 10—हीरो स्पलेंडर यूपी 21 बी एक्स 2758
- 11—स्पलेंडर यूके 18 एल 1695
- 12— हीरो होण्डा बिना नम्बर
- 13—स्कूटी एस जी 22 2772

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

- 1—मु0अ0सं0 370 / 2020 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम सोनू उर्फ सरताज
- 2—मु0अ0सं0 371 / 2020 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम शहनवाज उर्फ शानू
- 3—मु0अ0सं0 372 / 2020 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम आसिफ
- 4—मु0अ0सं0 373 / 2020 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम जितेन्द्र

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 31.08.2020 को प्रभारी निरीक्षक धामपुर व उनकी टीम आरएसएम चौराहे पर चैकिंग कर रही थी। जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि 02 बुलैट मोटर साईकिल पर सवार 06 चोर शेरकोट की तरफ से धामपुर आकर चोरी करने वाले हैं तथा उनके पास असलहे भी हैं। पुलिस द्वारा समय करीब 23:00 बजे दोनो बुलैट मोटरसाईकिल पर सवार 04 अभियुक्तगण को मौके पर घेर-घोट कर दबोच लिया तथा 02 अभियुक्तगण मौके का फायदा उठाकर फरार हो गये।

पूछताछ का विवरण—

अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह लोग दिल्ली, मुरादाबाद, उत्तराखण्ड से वाहन चोरी करते हैं तथा उनके फर्जी कागजात तैयार करके और उन पर फर्जी चैसिस/इंजन नम्बर खुदवाकर, चोरी किये गये वाहनो को बेच देते हैं। अभियुक्तगण ने सामूहिक पूछताछ पर बताया कि चोरी किये गये 11 दुपहिया वाहन फरार अभियुक्त शाकिर के घर पर खडे हैं, जिन्हे हम चलकर बरामद करा सकते हैं। अभियुक्तगण की निशादेही पर चोरी की गयी 10 मोटर साईकिल व 01 स्कूटी अभियुक्त शाकिर के घर चाऊपुरा थाना डिलारी से बरामद किये गये। अभियुक्तगण उपरोक्त अन्तर्राज्यीय चोर हैं। जिनके आपराधिक इतिहास के बारे में आस-पास के जनपदों में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण—

- 1—प्रभारी निरीक्षक श्री रंजन कुमार शर्मा 2—व0उ0नि0 श्री अनुज तोमर 3—उ0नि0 श्री मुकेश कुमार
 - 4—उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह 5—कां0 965 कपिल कुमार 6—कां0 315 सहदेव सिंह 6—कां0 1580 ललित कुमार
- टीम के उत्सावर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा 10,000 / रूपये के पुरूस्कार से पुरूस्कृत किया गया।

थाना बढापुर पुलिस द्वारा 300 लीटर अवैध शराब व 500 ग्राम यूरिया व शराब बनाने के उपकरण सहित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

मु0अ0सं0—225 / 2020

धारा—60 (2) आबकारी अधि0

बनाम—02 अभियुक्त नामजद

दिनांक घटना—31.08.2020

घटना स्थल—जंगल ग्राम चम्पावत चकला थाना बढापुर

दिनांक गिरफ्तारी—31..08.2020

समय—17:30 बजे गिरफ्तारी स्थल—जंगल ग्राम चम्पावत

चकला

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1—दर्शन सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम चम्पावत चकला थाना बढापुर, बिजनौर।



फरार अभियुक्त का नाम व पता—

1— अमरीक सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम चम्पावत चकला थाना बढापुर, बिजनौर।

बरामदगी का विवरण—

1— 06 रवड़ के ट्यूब में भरी 300 लीटर अवैध शराब

2— शराब बनाने के उपकरण

3— 500 ग्राम यूरिया

4— 1000 लीटर लाहन (नष्ट किया गया)

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

मु0अ0सं0 225 / 2020 धारा 60 (2) आबकारी अधि0 बनाम 02 अभियुक्त उपरोक्त।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

मेंरे द्वारा अवैध शराब बनाकर बेंचने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बढापुर पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर दिनांक 31.08.2020 को समय 17:30 बजे मुखविर की सूचना पर जंगल ग्राम चम्पतपुर चकला थाना बढापुर से अभि० दर्शन सिंह उपरोक्त को रबर के ट्यूब में भरी 300 लीटर अवैध शराब, 500 ग्राम यूरिया तथा शराब बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया तथा मौके से 1000 लीटर लाहन नष्ट किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का एक अन्य साथी अमरीक सिंह मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया।

पूछताछ में अभि०गण द्वारा बताया कि वह दोनों चाचा-भतीजे बाजार से गुड़ लाकर लाहन तैयार कर कच्ची शराब बनाते हैं तथा उसमें यूरिया मिलाकर उसको और अधिक तेज करके बेंचते हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण—1-प्रभारी निरीक्षक श्री संजय धीर 2-उ०नि० प्रदीप कुमार 3-का० 1150 दिनेश कुमार 4-का० 1928 शिव कुमार, 5- का० 1197 सोनू कुमार, 6- का० 821 गुलाम असगरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

टीम के उत्सावर्धन के लिये 05 हजार रूपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

थाना मण्डावली:— आज दिनांक 01.07.2020 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा थाना मण्डावली पर पंजीकृत मु०अ०सं० 167/20 धारा 898ए/504 भादवि० व धारा 3/4 दहेज अधि० तथा धारा 3/4 मुस्लिम विवाह के संरक्षण अधि० के वांछित अभि० वसील पुत्र फारुक निवासी नयागांव निवासी मंडावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना नूरपुर:- आज दिनांक 01.09.2020 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा थाना नूरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 267/20 धारा 307/323/324/506 भादवि0 के वांछित अभि0 दीपक उर्फ दीपू पुत्र नेमी शरण निवासी मौ0 जोशियान ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना रेहड़:- आज दिनांक 01.09.2020 को थाना रेहड़ पुलिस द्वारा अभि0 अजीम पुत्र मौ0 बाबू निवासी ग्राम सादकपुर थाना रेहड़ जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमन्चा सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना रेहड़ पर मु0अ0सं0 108/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया।



थाना को0देहात:— आज दिनांक 01.07.2020 को थाना को0देहात पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में अभि0 अर्जुन पुत्र रघुवीर निवासी वरुकी थाना को0देहात को गिरफ्तार किया गया ।



थाना स्योहारा:—आज दिनांक 01.09.2020 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में अभि0 आकाश पुत्र चन्द्रभान निवासी ग्राम रामाखेड़ा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया ।



थाना अफजलगढः- आज दिनाँक 01.09.2020 को थाना अ0गढ पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में अभि0 1-इकबाल पुत्र बुंदू हसन, 2-फहीम पुत्र नसीम शाह, 3- अनीस अहमद पुत्र अली बख्श, 4- अब्दुल्ला पुत्र अली बख्श निवासीगण ग्राम शेरगढ थाना अ0गढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया ।

